उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्या– — / ।।(1)–2018–01(19)/2018
देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप/स्थानान्तरण

एतद्द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित **अधीक्षण अभियन्ताओं** (सिविल/यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम 4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रमोद कुमार दीक्षित/अधी0 अभि0	सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ	सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंह नगर	धारा 17.(1)(ग) के अन्तर्गत।

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे/अधी0 अभि0	सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल ऋषिकेश	सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा	वरिष्ट कार्मिक तथा अनुरोध के आधार पर धारा 13(1) सपठित धारा 7(घ) के अन्तर्गत ।

2– उक्त अधिकारी नवीन तैनाती के स्थान पर आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3– उक्त कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

4– उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5– उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6– यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7– यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2003 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8– जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1275/II(1)–2018–01(19)/2018तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल/बेवसाइट पर अपलोड।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।